



जनपद शामली पुलिस



--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 05.02.2021

थाना थानाभवन

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 02 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 12.5 लीटर अवैध देशी एवं 18 लीटर रेकटीफाईड शराब बरामद ।

दिनांक 04.02.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशनुसार अवैध शराब की तस्करी में लिप्त अपाधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी भवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा सूचना पर मुडेट खादर ट्यूवैल के पास से 38 पक्वे, 02 बोटल देशी शराब एवं 18 लीटर रेकटीफाईड शराब के साथ 02 तस्करों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजन पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम मुडेट खादर थाना थानाभवन जनपद शामली ।
2. संतूराम पुत्र रघुवीर सिंह निवासी ग्राम मुडेट खादर थाना थानाभवन जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध देशी शराब 38 पक्वे, 02 बोटल हरियाणा मार्का ।
2. अवैध रेकटीफाईड शराब 18 लीटर ।

बरामदगी एवं गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री बच्चू सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली ।
2. उ0नि0 श्री रविन्द्र सैनी थाना थानाभवन जनपद शामली ।
3. का0 अमित तोमर थाना थानाभवन जनपद शामली ।
4. का0 जय कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली ।



थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा चौसाना स्थित मेडिकल स्टोर एवं बिडौली स्थित बालाजी मेडिकल स्टोर में हुई चोरी की घटनाओं का किया सफल अनावरण, 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 6700/- रुपये नकद एवं अवैध चाकू बरामद ।

दिनांक 04.02.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चोरी की घटनाओं के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा गाड़ी वाला चौराहे से सूचना पर दुकानों में नकबजनी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाला शातिर चोर चोरी के 6700/-रुपये व अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । अभियुक्त का एक साथ शोएब पुत्र स्वर्गीय हनीफ निवासी चौसाना अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से भागने में सफल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी है । बरामदगी एवं गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । साथ ही अभियुक्त से अन्य घटनाओं के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है ।

ज्ञात हो कि दिनांक 15/16.01.2021 की रात्रि वादी डा0 शमशाद अली पुत्र श्री शफी मौहम्मद निवासी ग्राम टिटोली थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली की बिडौली स्टैंड झिंझाना स्थित मेडिकल स्टोर/क्लिनिक की अज्ञात चोरो द्वारा छत फाडकर 35,000/-रुपये चोरी किये जाने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर दिनांक 16.01.2021 को तहरीर दाखिल की गयी । एवं दिनांक 30.01.2021 को वादी श्री मोनू कुमार पुत्र श्री कालीराम निवासी चौसाना थाना झिंझाना के चौसाना मैन रोड पर स्थित बालाजी मेडिकल स्टोर से अज्ञात चोर द्वारा 55,000/- रुपये व सी0सी0टी0वी0 रिकार्ड करने वाला डी0वी0आर0 ले जाने के सम्बन्ध में दिनांक 30.01.2021 को तहरीर दाखिल की गयी । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटनाओं की गम्भीरता के दृष्टिगत घटनाओं के शीघ्र अनावरण हेतु थाना झिंझाना पुलिस को निर्देशित किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका -

गिरफ्तार अभियुक्त मुकर्रम उर्फ मुकरी द्वारा बताया गया कि जिस दुकान पर पैसों का आदान-प्रदान ज्यादा होता था। उस दुकान को चुनकर वे लोग दुकान की छत को फाडकर उसमें चोरी की घटना को अंजाम देते हैं ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1- मुकर्रम उर्फ मुकरी पुत्र स्वर्गीय सलीमुद्दीन निवासी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली ।

अपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त-

1- मु0अ0सं0 29/21 धारा 457,380 भादंवि0 थाना झिंझाना जनपद शामली ।

2- मु0अ0सं0 55/21 धारा 457,380 भादंवि0 थाना झिंझाना जनपद शामली ।

नाम पता फरार अभियुक्त-

1- शोएब पुत्र स्वर्गीय हनीफ निवासी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण:-

1- चोरी किये 6700/-रुपये ।

2- अवैध चाकू 01 ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1- उ0नि0 श्री मुनेश कुमार थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
- 2- उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
- 3- उ0नि0 श्री मानवेंद्र सिंह भाटी थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
- 4- हे0का0 सुमित कुमार थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
- 5- का0 राममूर्ति तेजा थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
- 6- का0 प्रदीप थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
- 7- का0 गौरव थाना झिंझाना जनपद शामिल ।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद:-

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा दिनांक 04.02.2021 को समय 18.00 बजे बिड़ौली सादात रोड़ से चैकिंग के दौरान एक शराब तस्कर महताब पुत्र इकबाल निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामिल को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है । बरामदगी एवं गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 60/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया है ।

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस पुलिस एवं एस0ओ0जी शामली टीम द्वारा मुठभेड में ट्रांसफार्मर सामान चोर गिरोह के 02 शातिर अपराधी किये गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल, अवैध हथियार एवं परिवहन में प्रयुक्त स्वीफ्ट कार बरामद:-

दिनांक 04.02.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी के अनावरण एवं चोरी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना पर ग्राम मलकपुर एवं खुरगान के बीच नदी पुल पर बदमाशों के साथ हुई मुठभेड में ट्रांसफार्मर सामान चोर गिरोह के 02 शातिर अपराधियों को ट्रांसफार्मर का चोरी का सामान, चोरी करने के उपकरण, अवैध हथियार एवं परिवहन में प्रयुक्त स्वीफ्ट कार के साथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्तगण के 02 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी हेतु कांबिंग की जा रही है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1- मुजम्मिल पुत्र मोहब्बत निवासी ग्राम मसावी थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 2- राजू उर्फ राजीव पुत्र दरयाब सिंह निवासी हिन्द थाना थानाभवन जनपद शामली।

अपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1- मु0अ0सं0 10/21 धारा 136,137 विद्युत अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।
- 2- मु0अ0सं0 43/21 धारा 136,137 विद्युत अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।
- 3- मु0अ0सं0 54/21 धारा 136,137 विद्युत अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।
- 4- मु0अ0सं0 198/20 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना बाबरी जनपद शामली।
- 5- मु0अ0सं0 10/21 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर।
- 6- मु0अ0सं0 15/21 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर।
- 7- मु0अ0सं0 18/21 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर।
- 8- मु0अ0सं0 168/20 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना भौराकला जनपद मुजफ्फरनगर।
- 9- मु0अ0सं0 182/20 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना भौराकला जनपद मुजफ्फरनगर।
- 10- मु0अ0सं0 61/20 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर।
- 11- मु0अ0सं0 31/20 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर।
- 12- मु0अ0सं0 83/20 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर।
- 13- मु0अ0सं0 207/20 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर।
- 14- मु0अ0सं0 209/20 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर।
- 15- मु0अ0सं0 251/20 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर।

नाम पता फरार अभियुक्तगण-

- 1- मुर्सलीन पुत्र इशा निवासी मसावी थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 4- मुनव्वर पुत्र कुन्दन निवासी कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण-

- 1- कायल ट्रांसफार्मर 02 ।
- 2- एंगल लोहे की 02 ।
- 3- लोहा काटने की आरी 06 ।
- 4- पाना 01 ।
- 5- चाबी 01 ।
- 6- पेचकस 01 ।
- 7- रस्सी 01 ।
- 8- लोहे की पत्ती 02 ।
- 9- प्लास 01 ।
- 10- पाईप रिंच 01 ।
- 11- लोहे की पत्ती 50 किलो 01 ।
- 12- 11 हजार बिजली लाईन के तार के 04 बंडल कुल लम्बाई 225 मीटर ।
- 13- अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 खोखा व 03 जिन्दा कारतूस 12 बोर ।
- 14- अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस ।
- 15- परिवहन में प्रयुक्त स्वीफ्ट कार रंग सफेद नम्बर UP15BE/3801 ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- उ0नि0 श्री रमेशचन्द थाना कैराना जनपद शामिल ।
- 2- उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना कैराना जनपद शामिल ।
- 3- उ0नि0 श्री विरेन्द्र कसाना प्रभारी एस0ओ0जी0 शामिल ।
- 4- है0का0 नितिन कुमार एस0ओ0जी0 शामिल ।
- 5- है0का0 अशोक एस0ओ0जी0 शामिल ।
- 6- का0 योगेन्द्र थाना कैराना जनपद शामिल ।
- 7- का0 अरुण थाना कैराना जनपद शामिल ।



थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा 02 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद ।

दिनांक 04.02.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशनुसार अवैध शराब की तस्करी में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना पर ग्राम गन्दराउ तिराहे के पास से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के 02 तस्करो को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आरिफ पुत्र रकीबूद्दीन निवासी ग्राम गन्दराउ थाना कैराना जनपद शामली ।
2. वाजिद पुत्र महबूब निवासी ग्राम गन्दराउ थाना कैराना जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध कच्ची शराब 20 लीटर ।

बरामदगी एवं गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री दिग्वीजय सिंह थाना कैराना जनपद शामली ।
2. हे0का0 इलियास थाना कैराना जनपद शामली ।
3. का0 अमरपाल थाना कैराना जनपद शामली ।

